संख्या– 18 /xxxvi(1)एक/10–184/2001 टी0सी0

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 07 फरवरी, 2010

विषय–मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सृजित पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 39/xxxvi(1)एक/09–184/01टी0सी0 दिनांक 06 फरवरी, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु मूल रूप में शासनादेश संख्या– 106–एक/न्याय विभाग/2002, दिनांक 1–5–2002 द्वारा सृजित 23 पदों, मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति हेतु , शासनादेश संख्या– 12–एक(5)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 21–8–2003, द्वारा सृजित 02 पदों, जिला बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या – 15–एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 25–7–2003 द्वारा सृजित कुल 06, पदों जिला उधमसिंह नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–16–एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 20–8–2003 द्वारा सृजित 02 पदों, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–5–एक(5)/ छत्तीस (1)/न्यायअनु0/2005 दिनांक 11–2–2005 द्वारा सृजित 01 पद एवं शासनादेश संख्या 8–एक(5)/न्याय/न्याय विभाग/2003 दिनांक 28–6–2005 द्वारा सृजित 02 पदों अर्थात कुल 36 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जांए, दिनांक 1–3–2010 से 28–2– 2011 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त प्राधिकरणों एवं समिति के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा शर्ते सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00– आयोजनेत्तर –800–अन्य व्यय–05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–00" के अन्तर्गत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिये लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य

व्यय–06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–00'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92,(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या–18 (1)/xxxvi(1)एक/10तददिनांकित्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– जिला न्यायाधीश बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर /नैनीताल/ बागेश्वर/ रूद्रप्रयाग/ चम्पावत।
5– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव,

nirantrata